उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1979)

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 2016

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 2018

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2019

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, 2023

द्वारा संशोधित

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश दण्ड विविध (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 21 दिसम्बर, 1979 को प्रकाशित किया गया।

कतिपय अपराधों का शमन और कतिपय दण्ड विचारण का उपशमन करने का उपबन्ध करने के उद्देश्य से, मोटर यान अधिनियम, 1939, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कारखाना अधिनियम, 1948, पुलिस अधिनियम, 1861 और सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 का (उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में) और उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा ।

(2) यह उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा।

अधिनियम संख्या 4 सन् 1939 में नई धारा 131–ख का बढ़ाया जाना

2–मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 131–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् –

अपराधों का शमन

''131–ख (1) इस अध्याय (धारा 116, 117, 118–क, 123 और 123–को छोड़कर) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अपराधों का अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार के इस निमित किसी सामान्य वा विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा ।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमनं–

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हों तो निर्मुक्त कर दिया जावेगा–

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रमाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।''

अधिनियम संख्या 11 सन् 1948 में नई धारा 22–गग का बढ़ाया जाना

3–न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में, धारा 22–ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

अपराधों का शमन

''22–गग–इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जो पहली बार किया गया हो, शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे आफिसर, द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत जुर्माना को अधिकतम रकम से अधिक शमन फीस को ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन–

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, यहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधो की दोषमुक्ति का होगा।''

अधिनियम संख्या 63 सन् 1948 में नई धारा 106–क का बढ़ाया जाना

4–कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय–10 में, धारा 106 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् –

''106–क–इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जो पहली बार किया गया हो शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन––

(i) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा।

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुषित का होगा;

अधिनियम संख्या 5 सन् 1861 की धारा 34–ए के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5–पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34–ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दो जायेंगो, अर्थात् –

धारा 32 और 34 के अधीन अपराधों का शमन

''34–क–धारा 32 या धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध का शमन जिला पुलिसं अधीक्षक द्वारा चााहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष अंदेश के अध्यधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझें वसूल करने पर किया जा सकेगा और जहां अपराध का इस प्रकार शमनः–

(i) अभियोजन संस्थित करने के पूर्व किया जाये, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त करः दिया जायया;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, यहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोष मुक्ति का होगा।

अधिनियम संख्या 3 सन् 1867 में नई धारा 14–क का बढ़ाया जाना

6–सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की बारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात––

अपराधों का शमन

''14–इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत जुर्माना को अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमनः–

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, यहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अनियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, यहां शमन का प्रभाव अपराधों की दोषमुक्ति का होगा :

परन्तु इस धारा में निहित किसी बात से ऐसे अपराधी द्वारा, जिसे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सभी सिद्ध दोष किया गया हो, किये गये किसी अनुवर्ती अपराध का शमन करने का प्राधिकार नहीं होगा।''

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 564 का संशोधन

7–उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 564 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्मलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

''(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन निर्देशित किये जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार को इस निमित्त सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत अर्थ–दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमनं फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार शमनः–

(i) अभियोजन निर्देशित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जावेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अनियोजन निवेशित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।''

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6 सन् 1962 की धारा 36 का संशोधन

8–उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 36 में, उपचारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्ः––

''(3) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात, मुख्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए अपराध के लिए नियंत अर्थ दंड को अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस को ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शंमन–

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय वहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोष मुक्ति का होगा।''

कतिपय विचारण का उपशमन

9–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी.–

(1) (क) ऐसे अपराध के लिये जो

[1][(एक) मोटर यान अधिनियम, 1988 के; या**]**

(दो) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के, जो उक्त अधिनियम को धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दण्डनीय पद्यम के संबंध में अपराध न हो, या–

(तीन) पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के, या

(चार) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 160 के अधीन दंडनीय है, या

(ख) केवल जुर्माना से दंडनीय किसी अन्य अपराध के लिये, अभियुक्त के विचारण का, या

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 या धारा 109 के अधीन किसी कार्यवाही का, जी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष **[2][**31 दिसम्बर, 2021**]** के पूर्व से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर लम्बित हो, उप शमन हो जायेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 2016 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 2023 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।